राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

<u>एकलपीठ सिविल द्वितीय अपील संख्या–214/2017</u>

मनोज कुमार व्यास व अन्य
–: बनाम :–
ओम प्रकाश व अन्य

आदेश दिनांकः– **01–09–2017**

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता</u>

श्री संजय मिश्रा, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री भरत सैनी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–2
श्री एस.के.बंसल, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–6 व 9 से 13 व 15
श्री मामून खालिद, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1

प्रत्यर्थी संख्या–1 की पूर्व में तामील हो चुकी है । प्रत्यर्थी संख्या–2 की ओर से श्री भरत सैनी, अधिवक्ता उपस्थित हैं । प्रत्यर्थी संख्या–6 व 9 से 13 व 15 की ओर से श्री एस.के.बंसल, अधिवक्ता उपस्थित है, जो इनकी ओर से वकालतनामा प्रस्तुत करने की अण्डरटेकिंग देते हैं तथा प्रत्यर्थी संख्या 3,4,5,7,8 व 14 की ओर से निर्देश प्राप्त करने हेतु समय चाहते हैं।

प्रत्यर्थी संख्या–16 से 24 के नये सिरे से नोटिस जारी किए जावें। प्रत्यर्थी संख्या–16 से 24 के नये सिरे से नोटिस व तलवाना प्रस्तुत करने हेतु योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को एक सप्ताह का समय दिया जाता है ।

प्रकरण तीन सप्ताह बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे तब तक पत्रावली में अयाची संख्या–1 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.के. अग्रवाल द्वारा दी गई अण्डरटेकिंग जारी रहेगी ।

(न्या0 प्रकाश गुप्ता)

ऋषिकेश सोनी/25